8/2007

संजूबाई बनाम देवलाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.9.20	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित हैं। संक्षेप में प्रकरण निम्न प्रकार है, कि वादिया द्वारा जरिये विद्वान अधिवक्ता एक वादपत्र U/S 88.89.183 R.T. Act 1955 प्रस्तुत कर कथन किया, कि वह वादग्रस्त भूमि वाके माल बेड़ादिया आंवरी ख० नं. 120 मि. रकबा 111/3, 998 रकबा 3) 120 मी 3) कुल 6111/3 के पूर्व खातेदार श्रीकृष्ण पुत्र मेहताब के पुत्र उदयलाल की पत्नी है। वादी क्र 2 व 3 उसके अर्थात उदयलाल के पुत्र पुत्री है। श्रीकृष्ण की मृत्यु के उपरान्त वादग्रस्त भूमि पर श्रीकृष्ण के एक मात्र पुत्र उदयलाल का नाम दर्ज नहीं कर देवलाल व मांगीबाई का नाम दर्ज कर दिया जो अवैध है। यह कि उदयलाल का भी देहान्त हो गया है। उसकी मृत्यु के बाद वादीगण उसके वैध उत्तराधिकारी है। प्रतिवादी० का नाम वादग्रस्त भूमि पर दर्ज हो जाने से वादिनी व उसके पुत्र पुत्री को असहाय देख कर उक्त भूमि पर जबरन उसे काश्त नहीं करने दे रहे हैं। उक्त भूमि पर जबरन कब्जा कर रखा है। अन्य कथन कर निवेदन किया कि वादीगण को उक्त वादग्रस्त भूमि का समभाग में खातेदार घोषित किया जावे। प्रति० का नाम खाते से खारिज किया जावे। प्रतिवादी० को वादग्रस्त भूमि से बेदखल किया जाकर वादीगण को कब्जा दिलाया जावे आदि। जवाब वादी का प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि 40-50 वर्षों से प्रतिवादी नं.1 अपने मृतक काका श्रीकिशन के जीवनकाल से ही बहैसियत मालिक कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि का खातेदार श्रीकृष्ण प्रतिवादी 1 का काका था, जिसकी देखभाल प्रतिवादी नं. 1 ही करता	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहलमद हुक्म से

था। राजस्व कर्मचारियों ने प्रतिवादी नं. 1 को श्रीकृष्ण का उत्तराधिकारी मानकर भूमि दर्ज की है। मृतक उदयलाल भी अपने जीवनकाल में कभी बड़ोरिया आंवरी गाँव नहीं आया। वादियो वादग्रस्त भूमि अपने नाम दर्ज करवा कर, हमिया कर खुर्द-बुर्द करना चाहती थी। वादिनी कभी अपने तथा कथित ससुर मृतक श्रीकिशन एवं अपने पति उदयलाल की मौजूदगी में ग्राम बड़ोरिया आंवरी में कभी नहीं आई।

वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी नं. 1 अपने काका मृतक श्रीकिशन के समय से ही शान्ति-पूर्वक काश्त करता चला आ रहा है। वकील वादी को जवाब की प्रति दिलाई जाकर जवाब पेश करा किया। वकील वादीया द्वारा प्रा० पत्र प्रस्तुत किये कि प्रतिवादी नं० 2 का नाम डिलीट किया जाकर कली-बाई को बतौर पक्षकार नं. 3 तथा अन्य प्रा. पत्र पर नन्दा को प्रति० पक्षकार नं० 4 संयोजित किया। प्रति० नं. 4 के कायम मुकाम रिकार्ड पर लिये गये।

वादियां के वादपत्र व जवाब के आधार पर प्रका० में जवाब प्रस्तुत किया। दावा व जवाब दावा के आधार पर निम्न विवादक बिन्दु कायम किये गये।

तनकी नं० 1:- आया वादीगण वादग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदार श्रीकृष्ण के एकमात्र वैध उत्तराधिकारी है! न कि प्रतिवादी 1 से 4

जिम्मे वादीगण

तनकी नं० 2:- आया वादीगण वादग्रस्त भूमि मौजा बड़ोदिया आंवरी किता 3 रकबा (शाम)3 पूर्व खातेदार श्रीकृष्ण के स्थान पर खातेदार घोषित होने के हकदार है।

जिम्मे वादीगण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तनकी नम्बर 3:— आया वादीगण वादग्रस्त भूमि से प्रति० का नाम खारिज करवा कर अपना नाम दर्ज करवाने के हकदार है।

जिम्मे वादीगण

तनकी नम्बर 4:— आया वादीगण वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादी को बेदखल करवा कर कब्जा प्राप्ती के हकदार है।

जिम्मे वादीगण

तनकी नं० 5:— आया प्रतिवादी नं० 1 मृतक श्री कृष्णा का एकमात्र उत्तराधिकारी है। मृतक श्रीकृष्णा द्वारा ही प्रतिवादी नं० 1 को उत्तराधिकारी बना कर वादग्रस्त भूमि सौंप दी थी।

जिम्मे प्रतिवादी-1

तनकी नम्बर 6:— आया प्रतिवादी नं० 1 का अपने काका श्रीकृष्णा की भूमि पर विगत 40-50 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है। दावा मियाद बाहर होने से काबिल खारिज है।

जिम्मे प्रतिवादी-1

तनकी नम्बर 7:— आया वादग्रस्त भूमि में मृतक नन्दा के वारिसान खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के हकदार है।

जिम्मे प्रतिवादी

तनकी नम्बर 8:— दादरसी

बाद कायमी तनकियात पक्षकारान् को अपने अपने साक्ष्य, सहादत आदि प्रस्तुत करने के पर्याप्त एवं युक्ति-युक्त अवसर दिये गये। दौराने साक्ष्य वादीगण की ओर से निम्न साक्ष्य प्रस्तुत किये गये।

शपथ-पत्र साक्ष्य वादियां संजूबाई प्रदर्श P.W-1

नकल जमाबंदी ग्राम बड़ोरिया अंतरी 2055-58 (खाता) नम्बर 89 प्रदर्श-1

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहका… हुक्म … में …
	नकल नामान्तरण ग्राम बड़ोरिया आँतरी नम्बर 188 दिनांक 26.5.2000 प्रदर्श-2, मृत्यु प्रमाण पत्र उदालाल पुत्र श्रीकिशन जारी द्वारा नगर पालिका झालावाड़ रजि0 नं. 94 दि. 14.2.2006 प्रदर्श-3, नकल फर्द मिलान ग्राम बड़ोरिया ढुंढ सन् 2004-24 प्रदर्श-4. प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई लिहाजा साक्ष्य प्रतिवादी बंद की जाकर बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी0 द्वारा वादपत्र के तथ्यों को दोहराया तथा कथन किये कि प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किया गया है, कि वह मृतक श्रीकृष्णा का भतीजा है, अर्थात मृतक श्रीकृष्णा उसके काका है, तथा मृतक श्रीकृष्णा के उदयलाल पुत्र था। इस प्रकार मृतक श्रीकृष्णा के जायन्दा पुत्र होते हुये भी वादग्रस्त भूमि जो मृतक श्रीकृष्णा के पुत्र उदयलाल या उसके बाद उसके वारिसान के नाम दर्ज नहीं कर मृतक श्रीकृष्णा के भतीजे के नाम दर्ज कर दी है, वह गलत है। वादग्रस्त भूमि वादीगण के नाम दर्ज की जाकर उन्हें कब्जा दिलाया जावे। बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन अवलोकन, मनन किया। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के कथन, अंकित तथ्य, वाँछित अनु- तोष, प्रतिवादीगण के जवाब, जवाब के कथन, वाँछित अनुतोष एवं वादीगण के द्वारा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारी अहकाम जो इ हुक्म की तामी में जारी हुए
	प्रस्तुत साक्ष्यादि पर मनन किया। दोरान बहस विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कादि पर सम्यक विधिसंगत विचार किया गया। तनकीवार विवेचन अधोलिखितानुसार है। <u>तनकी नम्बर 1:-</u> इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। जवाब प्रतिवादी के मद नम्बर 1 में प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किया हुआ है, कि प्रतिवादी नं. 1 मृतक श्रीकृष्ण का भतीजा है। इस प्रकार प्रतिवादी की स्वीकारोक्ति है, कि मृतक श्रीकृष्ण उसका काका था। प्रतिवादी नं० 2 के क्रम मे रिपोर्ट तहसीलदार की गई रिपोर्ट में जाहिर किया कि मृतक श्रीकृष्ण के शजरे में मांगीबाई नामक कोई महिला है, ही नहीं। इस प्रकार देवनाथ जो प्रतिवादी नम्बर 1 है, उसके परिवार में भी मांगीबाई पुत्री नन्दा नामक कोई सदस्य नहीं होने से सहमति के आधार पर मांगीबाई का नाम वाद से डिलीट किया गया! प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 मृतक नन्दा जो मृतक श्रीकृष्ण का भाई था के पुत्र है वो मृतक श्रीकृष्ण के पुत्र या वारिस नहीं है। यह स्वीकृत तथ्य है। श्रीकृष्ण का एक मात्र पुत्र उदयलाल होना भी स्वीकृत तथ्य है प्रदर्श-3 ए भी यह तथ्य प्रमाणित है, कि श्रीकिशन के पुत्र उदालाल की मृत्यु दि० 10.2.2006 को	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	हो चुकी है प्रताप पुत्र ताराचंद भील निवासी धनवास तहसील झालरापाटन द्वारा वादीगण को मृतक श्रीकृष्णा के पुत्र उदयलाल के वारिस होना अपने शपथ-पत्र में अवगत कराया है। मृतक श्रीकृष्णा की पुत्री कलीबाई ने प्रा० पत्र पेश कर कथन किये है, कि वह मृतक श्रीकृष्णा की पुत्री है, तथा मृतक श्रीकृष्णा के एक पुत्र उदयलाल था। जिसकी मृत्यु हो चुकी है। उक्त प्रार्थना पत्र पर उसे बतौर प्रतिवादी 3 कायम किया गया है उसके द्वारा वाद में कहीं भी यह कथन नहीं किये कि वादीगण मृतक उदयलाल के वारिस नहीं है। उसके द्वारा मात्र 1/2 हिस्सा ही चाहा है। इस प्रकार यह तय है, कि प्रतिवादी नं० 1,2, व 4 मृतक श्रीकृष्णा के उत्तराधिकारी नहीं है। श्रीकृष्णा की पुत्री प्रतिवादी नम्बर 3 तथा श्रीकृष्णा के पुत्र उदयलाल तथा उसकी मृत्यु उपरान्त वादीगण ही उसके उत्तराधिकारी प्रतीत होते है। अन्य तनकियात के विनिश्चय के अधीन यह तनकी बहक वादीगण तय की जाती है। __तनकी नम्बर 2:__— इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। प्रकरण में यह तय है, कि प्रतिवादी नं० 1,2, व 4 श्रीकृष्णा के उत्तराधिकारी नहीं है। श्रीकृष्णा की पुत्री कलीबाई तथा एक पुत्र उदयलाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता... अहकाम जो ... हुक्म की ता... में जारी ...
	ही श्रीकृष्णा के उत्तराधिकारी हैं। परन्तु हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2 की उपधारा 2 के प्रावधानों के अनुसार S.T. वर्ग पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम प्रभावी नहीं होगा। DNJ. 2016 बऊनवाही बाबूलाल मीना एवं अन्य बनाम रामसिंह मीना एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित किया हुआ है, कि अनु० जनजाति के सदस्य पुराने हिन्दु कानून से शासित होते हैं। पिता की संपत्ति में पुत्रियों को अधिकार नहीं है। इस प्रकार मृतक श्रीकृष्णा के प्रतिवादी नं० 3 तथा मृतक उदयलाल दो ही वारिस थे। उक्त H.S. एक्ट 1956 की धारा 2 (2) के अनुसार तथा रोटा सर्कुलर नम्बर 3 धारा 46 व 43 के अनुसार श्रीकृष्णा की संपत्ति उदयलाल को ही हस्तांतरित होगी। उदयलाल की मृत्यु के बाद वादी नं० 3 तथा 1 को प्राप्त होगी। अतः यह तनकी इसी प्रकार बहक वादीगण तय की जाती है। **तनकी नम्बर 3:-** इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा पूर्व में वर्णित साक्ष्य प्रस्तुत किये थे। प्रतिवादी द्वारा यह स्वीकार किया गया है, कि श्रीकृष्णा उसका काका अर्थात पिता का भाई थे। इस प्रकार प्रतिवादी की यह स्वीकारोक्ति है, कि वह श्रीकृष्णा का पुत्र नहीं है। साथ ही यह भी स्वीकारोक्ति है, कि प्रति० नं० 2 मौजीबाई	

अधिकारी
जमण्डी

का आधिपत्य के आधार [illegible] वादीगण मृतक श्रीकृष्ण के पुत्र के पुत्र पुत्री व धर्मपत्नी हैं। व मृतक श्रीकृष्ण की संपत्ति के अधिकारी हैं। तनकी नम्बर 1 व 2 की विवेचना अनुसार यह तय है, कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के नाम विधि विरुद्ध अंकित कर दिये हैं, जिन्हें खारिज करवाने के वादीगण हकदार हैं तथा वादी नं. 1 व 3 उक्त भूमि पर अपना नाम दर्ज करवाने के हकदार हैं।

अतः यह तनकी बहक वादीगण तय की जाती है।

<u>तनकी नम्बर</u> 4:- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। तनकी नम्बर 1 से 3 की विवेचना अनुसार यह पाया जाता है, कि वादग्रस्त भूमि बड़ोरिया औंतरी खसरा नं. १२० मि./१११३, ११८/५), १२०/२) किता 3 (रकबा) ६.१११३ पर नामा० नं. १८८ से प्रति० 1 व 2 का नाम विधि के प्रावधानों के इतर जाकर दर्ज कर दिया है।

प्रति० का कथन है, कि उनका काफी लम्बे समय से कब्जा है, किन्तु कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है। इसके विपरीत वादीगण R.T.Act की धारा 46 में यथा वर्णित श्रेणी के हैं, इनकी भूमि पर कब्जे के आधार पर भी किसी को कोई स्वत्व प्रोद्भूत नहीं हो

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	सकते। यदि प्रति० 1 का बाजाप्ता भूमि पर कब्जा भी है, तो वह धारा 5 (44) की परिभाषित का है। प्रति० 1 का कब्जा अतिचारी की श्रेणी का होकर बैदखली का ही दायी होता है। अतिचारी किसी सद्भावी अनुतोष का अधिकारी नहीं होकर बैदखली का पात्र होता है। अतः यह तनकी बहक वादीगण तय की जाती है। <u>तनकी नं० 5:—</u> इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रति० 1 पर था। प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। प्रतिवादी नम्बर 4 जो प्रतिवादी नं० 1 तथा प्रतिवादी नम्बर 4/1 व 4/2 का पिता है, के द्वारा प्रा० पत्र O.1.R.10. C.P.C के साथ आबंटन आदेश ग्राम बड़ोरिया दिनांक 12.5.81 पेश किया था। उक्त के समर्थन में प्रति० नं. 4 द्वारा कोई शपथ-पत्रादि प्रस्तुत नहीं किये उसकी मृत्यु के बाद प्रति० नं. 1 व 4/1 व 4/2 द्वारा भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी कि उक्त दस्तावेज का वाद पर क्या असर है। ख० नं० 118 (कबा ४) ग्राम बड़ोरिया का ग्राम बड़ोरिया आंतरी की भूमि से किस प्रकार संबंध है। कुल तथ्य यह है, कि प्रतिवादी ने मृतक श्रीकृष्णा को स्वयं ने अपना काका अर्थात नन्दा का छोरा भाई स्वीकार किया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	है। प्रतिवादी स्वयं को नन्दा का पुत्र बताता है। ऐसी सूरत में श्रीकृष्णा के पुत्र उदयलाल को बजाय प्रति० 1 को श्रीकृष्णा का उत्तराधिकारी नहीं माना जा सकता।	
	वैसे भी श्रीकृष्णा का वह उत्तराधिकारी है ऐसे कोई साक्ष्य प्रतिवादी नम्बर 1 ने प्रस्तुत नहीं किये है।	
	अतः यह तनकी खिलाफ प्रतिवादी तय की जाती है।	
	तनकी नं० 6 :- इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रति० पर था। प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।	
	वादीगण ने दावा U/S. 88, 89, 183 R.T. Act. 1955 में प्रस्तुत किया है धारा 88 व 89 की तृतीय परिशिष्ट क्रम संख्या 5 व 6 के अनुसार कोई मियाद नहीं है। इस प्रकार दावा मियाद बाहर नहीं माना जा सकता।	
	वादीगण R.T. Act. 1955 की धारा 46 (घ) व (क) में वर्णित हैसियत के होने से इन पर मियाद का प्रश्न उठता प्रभावी नहीं होता है।	
	अर्थात स्वयम को प्रति० नं० 1 ने अपना 40-50 साल पुराना व सतत कब्जा प्रमाणित नहीं किया और द्वितीय विधि अनुसार वाद अवधि बाधित नहीं पाया जाता है अतः यह तनकी खिलाफ प्रतिवादी० तय की जाती है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो हुक्म की त... में जारी

तनकी नं० 7:— इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह तय किया जा सके कि वादग्रस्त भूमि पर मृतक खातेदार श्रीकृष्णा पि० मेहताब भील के भाई नन्दा s/o मेहताब के पुत्र श्रीकृष्णा की भूमि पर खातेदारी स्वत्व प्राप्त कर सकते थे।

नन्दा द्वारा अपने जीवनकाल में प्रस्तुत आवंटन आदेश ग्राम बड़ोरिया 12.5.81 का भी वादग्रस्त भूमि ग्राम बड़ोरिया आँतरी से संबंध स्थापित नहीं हो पाया है व वैसे भी साक्ष्य स्वरूप इसे नहीं पढ़ा जा सकता क्योंकि इसे विधिवत् साक्ष्य में ग्राह्य करने हेतु शपथ-पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया है।

मृतक नन्दा के वारिस अपने आपको मृतक श्रीकृष्णा के वारिस प्रमाणित करने में असफल रहे। लिहाजा यह तनकी खिलाफ प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी नम्बर 8:- तनकी नम्बर 1 से 7 के विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः गुणावगुण के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि वादग्रस्त भूमि वाके माल मौजा बड़ोदिया आँतरी खसरा

उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	910 से 918/1 व 920/2 किता 3 (काश्त) 0.111 है० का खातेदार वादी नम्बर 3 एवं वादी नं० 1 का खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का नाम उक्त भूमि से हटाया जाकर वादी नं० 3 एवं 1 का नाम दर्ज किया जावे। तहसीलदार रामगंजमण्डी उक्त वादग्रस्त भूमि पर वादी नं० 1 व 3 को खातेदार दर्ज कर कब्जा संभलावे। तदनुसार डिक्री मुरत्तिब हो। पत्रावली की निर्धारित में गणना की जाकर बाद तामील तकमील व तामीम दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18.9.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया। (देवाल दान) I.A.S. उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी

Judi Civil
Part V-10

अंतिम डिकरी व मुकद्दमे [redacted]

(आर्डर 20, रूल 6-7, ज़ाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

बअदालत — उपखण्ड अधिकारी — मुकाम — रामगंजमण्डी

ब इजलास — देशल दान (I.A.S.)

मंजूबाई — बनाम — देवलाल

दावा बाबत — 88-89-183. Rj. Act 1955

मुकद्दमा नं — 8 — सन् — 2007

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू — देशल दान (I.A.S.)

बहाजरी श्री सुरेन्द्र सिंह ए0डी0 — मिनजानिब मुद्दई व — X —

— मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि बाद वादीगण स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते है कि वादगत भूमि वाके मौजा बड़ोदिया ओलरी ख0 नं. 120/1113 मि. 118/8 120/2 किता 3 किता [illegible] का वादी नं० 3 एवं वादी नं० 1 को खातेदार घोषित किया जाता है। प्रति० नं० 1 व 2 का नाम उक्त भूमि से हटाया जाकर वादी नं० 3 व 1 का नाम दर्ज किया जावे। तहसीलदार रा० मण्डी उक्त वादगत भूमि पर वादी नं० 1 व 3 को खातेदार दर्ज कर कब्जा संभलावे।

चीज — X — मुबालिग — X — बाबत — X —

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद ब शरह — X — फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक — X — को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख — 18 — माह — 09 — 2020 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा — रामगंजमण्डी

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाह	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बवह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मीजान ...	—	—
मीजान....	—	—			

नोट—इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये। वाद व्यय पक्षकारान् अपना-अपना वहन करें।

रा. मु. जो. 139-2006-1,00,000 फार्म

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी